Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
L.D. Case No.- 57/2019

Kailash Mahto ……… ....Appellant.
Versus
Kamalu Mahto & Ors.………...Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

08.8.2025

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा B.L.D.R. Case No.–36/2018-19 में दिनांक-05.3.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकबा
के0 नगर	गणेशपुर/36	1760	5062	$9^{1}/_{2}$ डी0

दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी द्वारा Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन सहित कुल 25 डी0 उनके पिता स्व0 जगतु महतो को भूदान यज्ञ कमिटि के द्वारा प्रमाण पत्र सं0-607776, दिनांक-29.6. 1996 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसका संपुष्टि वाद सं0-3914/4239 द्वारा किया गया। तथा यह कि विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि उक्त वर्णित जमीन बिहार सरकार के खाते की है। तथा गलत तरीके से भूदान कार्यालय द्वारा अपीलार्थी के पिता के नाम से परवाना निर्गत कर दिया गया है।

दिनांक-24.4.2025 की सुनवाई के क्रम में न्यायालय में अंचल अधिकारी, के0 नगर द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित करते हुए बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-गणेशपुर, थाना नं0-36, खाता सं0-1760, खेसरा सं0-5062, रकवा-25डी0 भूमि का राजस्व अभिलेखीय खतियान एवं स्थलीय जांच की गई एवं अंचल अमीन से मापी एवं सीमांकन कराई गई। खतियान से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा-गणेशपुर, थाना नं0-36, खाता-1761, खेसरा-5062, रकवा-3.16 एकड़ किस्म जमीन- नाला गैर मजरूआ सर्व साधारण खाते की है। जिसमें से आवेदक के पिता-जगतु महतो, पिता-स्व0 कंचन महतो, साकिन-गणेशपुर के नाम से भूदान परवाना सं0-607776, मौजा-गणेशपुर, थाना नं0-36, खाता-1760, खेसरा-5062, रकवा-25 डी0 निर्गत है। जिसका नामांतरण वाद सं0-38/93-94 के अनुसार जमाबंदी सं0-3798 पर जगतु महतो, पिता-कंचन महतो के नाम से पंजी- II मे दर्ज है। तथा यह कि वर्णित भूमि पर आवेदक कैलाश महतो का 15 डी0 पर दखल-कब्जा है एवं विपक्षी कमलू महतो 10 डी0 पर टिना एवं टट्टी का घर बनाकर कई वर्षो से रह रहे हैं। विपक्षी कमलू महतो से दखल की गई भूमि से संबंधित साक्ष्य की मांग की गई, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित खेसरा नं0-5062, खाता सं0-1761 का है, जो कि गैर मजरूआ सर्व साधारण का है। किस्म नाला है।

08.8.2025

जबकि भूदान परवाना में खाता सं0-1760 है जो कि बिहार सरकार खास खाते की है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder, अंचल अधिकारी, के0 नगर के प्रतिवेदन आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत होता है कि प्रश्नगत खेसरा सं0-5062 खाता सं0-1761 की जमीन है, जो कि गैर मजरूआ सर्व साधारण का है। तथा किस्म नाला है। साथ ही यह भी परिलक्षित होता है कि भूदान परवाना खाता संख्या-1760 हेतु निर्गत किया गया था। जो कि बिहार सरकार खास खाते की है। सरकारी जमीन को भूदान पर्चे के रूप में देने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त कानूनी बिन्दु के संदर्भ में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया